

है। पत्रावली दिनांक 20.01.20 को पेश हो।

20.01.2020

पत्रावली पेश की वकील अर्पिता अग्रवाल
वकील डा. अर्पिता को आवेदन लगाया गया।
हाजिर नहीं है। स्वयं डा. अर्पिता हाजिर नहीं है।
लिखित आवेदन पर डा. अर्पिता वकील अर्पिता
की अफसु हाजिर - अफसु पेशी में खारिज
किया जाता है तथा न्यायालय करा जायी
अस्वार्थ विवेचना दिनांक 20.09.2016 को
निस्त किया जाता है। पत्रावली केंद्र में
शुदा एवम फूल का संलग्न रहे।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

